"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 सितम्बर 2004—भाद्र 19, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2.—श्री एस. के. राजू, भा. प्र. से. (1998) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री राजू द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एल. एन. सूर्यवंशी, संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्य से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2004

क्रमांक ई-7/43/2004/1/2/लीव.— इस विभाग के आदेश क्रमांक 1309/750/2004/1/2, दिनांक 29-5-2004 द्वारा श्रीमती [illegible] शर्मा, भा. प्र. से., को दिनांक 14-5-2004 से 22-7-2004 तक (70 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, इसी अनुक्रम में और दिनांक 23-7-2004 से 19-8-2004 तक (28 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 20, 21 एवं 22 अगस्त, 2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

क्रमांक 2116/1302/2004/1/2/लीव.—श्री एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, भा. प्र. से. को इस विभाग के आदेश क्रमांक 1412/894/04/1/2/लीव, दिनांक 16-6-2004 द्वारा, दिनांक 11-6-2004 से 18-6-2004 तक (8 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, इसी अनुक्रम में दिनांक 19-6-2004 से 13-7-2004 तक (25 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें पूर्ववत् यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

क्रमांक ई-7/35/2004/1/2/लीव.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से. को दिनांक 23-8-2004 से 4-9-2004 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 21 एवं 22-8-2004 तथा 5-9-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री विश्वकर्मा के अवकाश अवधि में श्री एस. एल. रात्रे, अपर कलेक्टर, रायगढ़ अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, रायगढ़ का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री विश्वकर्मा, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री विश्वकर्मा, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वकर्मा, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

क्रमांक ई-7/45/2004/1/2/लीव.—श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा. प्र. से. को दिनांक 13-9-2004 से 25-9-2004 तक (13 दिवस) का पैतृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 11 एवं 12 तथा 26-9-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री पिंगुआ के अवकाश अवधि में श्री एस. एन. मंडावी, रा. प्र. से. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सरगुजा अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, सरगुजा का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री पिंगुआ, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री पिंगुआ, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पिंगुआ, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2004

क्रमांक 1760/जसंसं/24/अधि./पत्र क. स.—छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष समिति के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष समिति का गठन कर निम्नानुसार प्रतिनिधि पत्रकारों को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है.

1. श्री रमेश नैय्यर	-	दैनिक हरिभूमि, रायपुर
2. श्री रवि भोई	-	दैनिक भास्कर, रायपुर
3. श्री प्रकाश शर्मा	-	अध्यक्ष प्रेस क्लब, रायपुर
4. श्री नरेन्द्र पारख	-	दैनिक नवभारत, रायपुर
5. श्री दिनेश आकुला	-	स्टार टी. वी. न्यूज, रायपुर

पत्रकार कल्याण कोष समिति के सदस्य सचिव अपर संचालक, जनसंपर्क होंगे तथा समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2004

क्रमांक एफ 1-6/2003/वित्त/चार/सम.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) के सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2003) की धारा 3 के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा श्री वीरेन्द्र पाण्डे, निवासी रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2004

फा. क्र. 4911/1855/21-ब/छ.ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता, सरगुजा, अंबिकापुर, छ. ग. को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए सरगुजा, अंबिकापुर (छ. ग.) के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2004

क्रमांक 862/571/32/04.—छत्तीसगढ़ शासन नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा सक्ती नगरपालिका परिषद् के निवेश क्षेत्र का गठन करता है. जिसकी सीमाएं नीचे दर्शायी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है.

अनुसूची

सक्ती निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	-	ग्राम बगबुडवा, पतेरापाली एवं रगजा, तेंदुतोहा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	-	ग्राम रगजा, पतेरापाली, कंचनपुर, नंदेलीभाटा, बोईरडीह एवं सोंठी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	-	ग्राम सोंठी, नवापारा एवं पोरथा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	-	ग्राम पोरथा, सिपाहीमुड़ा, हरेठी, बोरदा, बगबुडवा, पतेरापाली एवं तेंदुतोहा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2004

क्रमांक 863/572/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा सीपत ग्राम पंचायत के निवेश क्षेत्र का गठन करता है. जिसकी सीमाएं नीचे दर्शायी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है.

अनुसूची

सीपत निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर	-	ग्राम मोहरा, कौवाताल, झलमला, नरगोड़ा, ठरकपुर एवं परसाही ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व	-	ग्राम ठरकपुर, हीडाडीह, दवनडीह, परसाही, दर्राभाटा, कोड़िया, राक एवं रलिया ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण	-	ग्राम परसाही, दर्राभाटा, कोड़िया, रलिया एवं गतौरा ग्रामों की दक्षिण सीमा तक.
पश्चिम	-	ग्राम गतौरा, देवरी पंधी, खजूरी, मोहरा एवं कौवाताल की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कोनपारा प. ह. नं. 27	0.951	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन धर्मजयगढ़.	कोटरीमाल जलाशय के डूबान हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 अगस्त 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	परसकोल प. ह. नं. 11	0.696	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) बिलासपुर.	सारंगढ़ परसकोल मार्ग के कि.मी. 12/2 पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 324/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	बहुनवागांव प. ह. नं. 25	0.86	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	करूवा व्यपवर्तन अंतर्गत यह नवागांव माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 326/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को उसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	मोहभट्ठा प. ह. नं. 29	0.69	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	मुरूधार जलाशय के नहर निर्माण में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 16 अगस्त 2004

क्रमांक/भू-अर्जन/2004/ 5895.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	भुरभुसी प. ह. नं. 21	61.301	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2004

क्रमांक 5581/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-भड़सेना, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.137 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
332	0.085
333	0.074
334/1	0.121
334/3	0.024
314/1	0.039
334/2	0.020
314/3	0.032
314/2	0.097
335	0.074
320	0.245
336/1	0.089
336/2	0.047
329	0.037
207/4	0.362
207/3	0.424
202	0.061
203	0.093
204/1	0.075
204/3	0.037
200	0.792
194	0.423
175/15, 175/19	0.570
193	0.241
192	0.283
175/8	0.013
191	0.356
370	0.530
359	0.773
360	0.063
362/1	0.150
362/2	0.221
362/3	0.244
369	0.059
365, 366	0.904
364/2	0.258
~~175/2~~	~~0.209~~
175/14	0.012
योग .	8.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -मोंगरा परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2004

क्रमांक 5582/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-सम्हरबांधा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.972 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
288/2	0.032
288/4	0.114
232	0.098
234	0.084
231	0.046
211	0.325
212	0.084
290/6	0.114
290/5	0.469
290/4	0.436
290/3	0.491
290/2	0.480
7	0.369
6/2	0.090
6/3	0.085
6/1	0.096
5/2	0.159
31/1	0.365
31/2	0.935
योग	3.972

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2004

क्रमांक 5583/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अ. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-ब्राम्हणभेड़ी, . प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.351 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14	0.162
15	0.227
16	0.611
19/3	0.012
19/1	0.117
108/3	0.401
37	0.154
104/1	0.162
36/1	0.425
36/2	0.186
28/9	0.125
109	0.295
108/1	0.097
108/2	0.174
10	0.061
11	0.223
8	0.312
28/3	0.170
28/4	0.380
28/7	0.057
योग	4.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2004

क्र. 14 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-मुंगेली, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.883 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	299, 300	0.373
	294/1	0.049
	294/2	0.069
	293	0.089
	291/2	0.101
	288/1	0.137
	288/3	0.065
योग	7	0.883

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2004

क्र. 20 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-दुल्हीनबाय, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.631 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	200	0.069
	203	0.069
	201	0.016
	202	0.053
	204/1, 204/2	0.312
	205	0.267
	212/1	0.202
	212/2	0.202
	213	0.218
	223	0.223
योग	10	1.631

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2004

क्र. 32 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-बरईदहरा, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	4	0.093
योग	1	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2004

क्र. 35 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-जमहा, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	108/2	0.105
	108/4	0.028
योग	2	0.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2004

क्र. 36 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	696/1	0.077
	696/2	0.008
	698	0.057
	699	0.052
योग	4	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.